न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 01/23 सन् 2023

RCMS NO-2023/ 10

बउनवानीः– 1. पन्नालाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी रणथम्भौर रोड़ सवाईमाधोपुर

बनाम

1. गुड्डी देवी पत्नि गुलाब सिंह जाटव निवासी विज्ञान नगर कॉलोनी रणथम्भौर रोड सवाईमाधोपुर तहसील सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2057 दिनांक 24.9.2010 वाके ग्राम आलनपुर तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल — वकील अपीलान्ट संख्या 1

2. श्री विनोद कुमार शर्मा — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 20.9.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2057 निर्णय दिनांक 24.9.2010 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालयं हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी किन्तु अपीलान्ट बावजूद तामील नोटिस उपस्थित नही हुआ। अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आराजी खसरा नम्बर 580/1882 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में स्थित अपना 1/14 हिस्सा श्रीराम पुत्र पून्या एवं गुनेशी बेवा पून्या द्वारा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1991 को विक्रय कर कब्जा दिया गया तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 संख्या 40 दिनांक 18.9.1998 खोला गया जो आज दिनांक तक कही भी निरस्त नही हुआ है। किन्तु उक्त नामा0 संख्या 40 का जमाबन्दी मे इन्द्राज नही हुआ। इसी दौरान सेंटलमेंट हुआ जिसमें सेटलमेंट विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 580/1882 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के नवीन ख0न0 416 रकबा 0.33 है0, ख0न0 442 रकबा 0.02 है0, ख0न0 443 रकबा 0.10 है0 बनाये जाकर उक्त ख0न0 की खातेदारी श्रीराम पुत्र पून्या एवं गुनेशी बेवा पून्या के नाम दर्ज कर दी गयी। जिसको दुरूस्त करवाने हेतु अपीलान्ट द्वारा उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त त्रुटि की शुद्वी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जाने पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर से वास्तविक रिपोर्ट मंगवायी जाने पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी जिसमे पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.10.2010 मे स्पष्ट लिखा है कि अपीलान्ट द्वारा खरीदी गयी भूमि का भरा गया नामा0 40 दिनांक 18.9.1998 का नवीन राजस्व रिकार्ड मे अंकन नही हुआ है तथा ख0न0 416 मे से 179 वर्ग मीटर की खातेदार नामा0 संख्या 1642 दिनांक 9.7.2007 से श्रीराम पुत्र पून्या, रामकरण पुत्र धन्ना व गोपाल पुत्र भैरू के बजाय रामप्रसाद पुत्र गोपाल बैरवा नि0 ढाणी विशनपुरा ग्राम आलनपुर के नाम स्वीकार हो गया इस प्रकार श्रीराम पुत्र पून्या के 1/14 हिस्से मे से भी बेचान हुआ है किन्तु मौके पर अपीलान्ट पन्नालाल पुत्र मांगी लाल का 1/14 वे हिस्से पर कब्जा बताया गया है। इस प्रकार तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 24.2.2010 को बहस सुनकर निर्णय पारित किया कि श्रीराम पुत्र पून्या व गुनेशी बेवा पून्या के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जावे। यह तर्क भी दिया कि [illegible] यह जानते हुए भी कि ख0न0 416,442,443 के 1/14 हिस्से पर जो श्रीराम, गुनेशी के नाम [illegible] पर अपीलान्ट काबिज है तथा उक्त भूमि को अपीलान्ट ने जरिये विक्रय [illegible] दिनांक 5.2.2010 को अनाधिकृत रूप से बिना किसी कब्जे व रूपये के लेने [illegible] विक्रय पत्र [illegible] करा लिया और अवैधानिक रूप से पटवारी हल्का जिसने 136 के प्रकरण मे रिपोर्ट की थी उसी [illegible]स्पो0 से मिलकर अवैधानिक रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.26 15:46:27 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपाजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुरा के आदेश दिनांक 24.2.2010 की पालना नही करते हुए दिनांक 29.4.2010 को रेस्पो0 संख्या 1 के नाम आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 2057 दर्ज फैसल कर दिया जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.12.2022को उक्त ख0न0 की जमाबन्दी की नकल लेने पर प्राप्त हुई इसके बाद विवादित नामा0 की दिनांक 28.12.2022 को नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया ।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजा के अनुसार वाके ग्राम आलनपुर की आराजी खसरा नम्बर 580/1882 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में से अपना 1/14 हिस्सा श्रीरामपुत्र पून्या एवं गुनेशी बेवा पून्या द्वारा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1991 को विक्रय कर कब्जा दे था तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 संख्या 40 दिनांक 18.9.1998 खोला जा चुका था जो आज दिनांक तक कही भी निरस्त नही हुआ है। किन्तु उक्त नामा0 संख्या 40 का जमाबन्दी मे इन्द्राज नही होने से दौरान सेंटलमेंट आराजी खसरा नम्बर 580/1882 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के नवीन ख0न0 416 रकबा 0.33 है0, ख0न0 442 रकबा 0.02 है0, ख0न0 443 रकबा 0.10 है0 बनाये जाकर उक्त ख0न0 की खातेदारी श्रीराम पुत्र पून्या एवं गुनेशी बेवा पून्या के नाम दर्ज कर दी गयी जिसको न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 24.10.2010 से दुरूस्त कर दिया गया है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वाके ग्राम आलनपुर की आराजी खसरा नम्बर 580/1882 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में से अपना 1/14 हिस्सा खातेदार श्रीराम पुत्र पून्या एवं गुनेशी बेवा पून्या द्वारा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1991 को विक्रय कर कब्जा दिया था तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 संख्या 40 दिनांक 18.9.1998 अपीलान्ट के पक्ष में खोला जा चुका था जो आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही हुआ, किन्तु उक्त नामा0 संख्या 40 का जमाबन्दी मे इन्द्राज नही होने से दौरान सेंटलमेंट आराजी साबिक खसरा नम्बर 580/1882 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के नवीन ख0न0 416 रकबा 0.33 है0, ख0न0 442 रकबा 0.02 है0, ख0न0 443 रकबा 0.10 है0 बनाये जाकर उक्त ख0न0 की खातेदारी श्रीराम पुत्र पून्या एवं गुनेशी बेवा पून्या के नाम दर्ज कर दी गयी जिसको न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 24.10.2010 से दुरूस्त किया जा चुका है। अतः न्यायालय उपजिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 24.10.2010 एवं विक्रय पत्र दिनांक 28.11.1991 के आधार पर दर्ज फैसल नामा0 संख्या 40 दिनांक 18.8.1998 के अनुसार विवादित भूमि साबिक ख0न0 580/1882 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के नवीन ख0न0 416 रकबा 0.33 है0, ख0न0 442 रकबा 0.02 है0, ख0न0 443 रकबा 0.10 है0 के 1/14 हिस्से का अपीलान्ट खातेदार होना चाहिए किन्तु आदेश जैर अपील नामा संख्या 2057 दिनांक 29.4.2010 को दर्ज फैसल करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को नजर अन्दाज किये जाने के कारण आदेश जैर अपील विधिसम्मत नही है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील नामा0 सख्या 2057 को खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 2057 निर्णय दिनांक 29.4.2010 ग्राम आलनपुर) खारिज किया जाता है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि नामा0 संख्या 40 दिनांक 18.9.1998 का राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.26 15:46:27 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner